कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit www.nagarnigamrudrapur.com
दूरभाष- 05944-242400

पत्रांक- 1613 / सा0नि0अनु0 / नि0सू0 / 2022-23 P.B दिनांक- 01/9/22

'निविदा सूचना'

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर द्वारा निम्नांकित कार्यों हेतु दिनांक 16-09-2022 को अपरान्ह 01:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, प्राप्त निविदाओं को दिनांक 20-09-2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से निविदा समिति या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। इच्छुक ठेकेदार / फर्म निर्धारित तिथि एवं समय तक अपनी-अपनी सीलबन्द निविदायें कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर में निविदा पेटी में डाल सकते हैं। निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय निर्माण अनुभाग से दिनांक 02-09-2022 से दिनांक 15-09-2022 तक (राजकीय अवकाश दिवस को छोड़कर) कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा कर क्रय कर सकते हैं। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि व समय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत / अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित है। निविदा की समस्त जानकारी एवं शर्तें नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से तथा विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (लाख में)
1.	नगर निगम रुद्रपुर के अन्तर्गत विभिन्न वार्डो में 42 इण्डिया मार्का II हैण्डपम्पों का रिपेयर कार्य।	24.64
2.	नगर निगम सभागार कक्ष में साउण्ड प्रूफिंग एवं रिपेयरिंग मेन्टीनेंस का कार्य।	13.37
3.	वार्ड नं0 38 में स्थित विवेकानन्द पार्क में ओपन जिम का अधिष्ठापन कार्य।	3.37

(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(रामपाल सिंह)
महापौर,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक- 1613/1, to 1613/5 / सा0नि0अनु0 / नि0सू0 / 2022-23 P.B दिनांक- 01-9-22

प्रतिलिपि- निम्नानुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. श्री तपन कुमार राय, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निविदा सूचना को नगर निगम के सभी सोशल मीडिया माध्यमों से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र **राष्ट्रीय सहारा एवं द पायनियर** को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 02-09.2022 के अंक में **न्यूनतम पठनीय** रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र पाल)
प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

इण्डिया मार्का II हैण्डपम्पों के रिबोर कार्य का विवरण एवं निविदा शर्तें

क्र. स.	कार्यों का नाम	आंगणन धनराशि (लाख रु0 में)	धरोहर धनराशि रु0	निविदा मूल्य+जी.एस.टी.		
				मूल्य	जी.एस.टी.	कुल (रु0)
1.	नगर निगम रूद्रपुर के अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में 42 इण्डिया मार्का II हैण्डपम्पों का रिबोर कार्य।	24.64	49280.00	2000.00	360.00	2360.00

1. निविदादाता को नगर निगम रूद्रपुर मे या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/निगमों मे विगत 02 वर्ष मे 50 इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प के स्थापना/रिबोर कार्य का अनुभव होना अनिवार्य होगा तथा उसका अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता फर्म/ठेकेदार को नगर निगम की बोर्ड बैठक दिनांक 13.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 14 मे पारित प्रस्ताव के क्रम मे निविदा प्रपत्रों के साथ नगर निगम रूद्रपुर का कोई बकाया न होने के सम्बन्ध में रु 10.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न किये गये वांछित अभिलेखों को कूटरचित रूप से (भ्रामक/काट–छाँट कर) प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित निविदादाता की धरोहर धनराशि जब्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा भविष्य हेतु नगर निगम के किसी भी कार्य को करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा, जिस हेतु निविदादाता स्वयं उत्तरादायी होंगे।
4. निविदा प्रपत्रों का लिफाफा सीलबन्द होना अनिवार्य है। स्टेपल पिन से बन्द किये गये निविदा लिफाफों को स्वीकार नही किया जायेगा।
5. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नही किया जायेगा।
6. प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर में निहित है तथा अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।
7. निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से सूचना प्रकाशन की तिथि से 'राजकीय अवकाश छोड़कर' किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय समय पर निविदा शुल्क जमाकर क्रय किये जा सकते हैं। कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
8. कार्य की सीमा किसी भी स्तर तक घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
9. निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य का नाम एवं ठेकेदार/फर्म का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा एवं निविदा दरों में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
10. निविदा की दरें शब्दों व अंको दोनों अवस्थाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा दशमलव बिन्दु के दो अंको/स्थान तक ही मान्य होंगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा प्रपत्र के साथ कार्य के सापेक्ष 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ रु0 100.00 का गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
14. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदादाता (एल–2) के पक्ष में कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ संख्या 02 पर

15. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मेन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व मे जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
16. स्वीकृत निविदाओं के कार्यादेश बजट की उपलब्धता होने पर ही जारी किये जायेंगे तथा सफल निविदादाता को प्रत्येक कार्यादेश जारी होने की तिथि से 01 माह के अन्दर कार्यादेश में अंकित रिबोर योग्य हैण्डपम्पों का कार्य नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ जिसमें हैण्डपम्प की संख्या, वार्ड की संख्या, स्थापना/रिबोर का वर्ष अंकित हो सन्तोषजनक रूप से जल प्रवाह व प्लेटफार्म एवं गृह स्वामी (जिसके घर के पास हैण्डपम्प लगा है) शामिल हो, कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. इण्डिया मार्का ॥ हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु गहराई सामान्यतः 45 मी0 से कम नहीं होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उस सामान्यतः 45 मी0 गहराई पर न्यूनतम 02 वर्ष तक जल प्रवाह बना रहे। जलस्तर न मिलने के कारण फेल हैण्डपम्प रिबोर कार्य का भुगतान नही किया जायेगा।
18. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इसके रखरखाव की अवधि 02 वर्ष की होगी। रखरखाव की अवधि मे हैण्डपम्प में किसी भी तरह की खराबी आने पर सम्बन्धित ठेकेदार अपने व्यय पर उसे ठीक करेगा तथा जनोपयोगी कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा। यदि हैण्डपम्प की बोरिंग खराब हो जाती है तो ठेकेदार को पुनः अपने व्यय पर बोरिंग कराकर हैण्डपम्प को क्रियाशील करवाना होगा।
19. उच्चाधिकारियों/विभिन्न जॉच समितियों द्वारा समय-समय पर हैण्डपम्प कार्यों की गुणवत्ता की जॉच की जाती है जिसे अनुबन्धकर्ता द्वारा अपने व्यय पर कराना होगा। इन जॉचों मे गहराई नापने हेतु हैण्डपम्प के जी0आई0 पाईप को पी.वी.सी. लोरिंग से बाहर निकालना, जॉच के बाद पुनः जी.आई. पाईप सहित हैण्डपम्प का अधिष्ठापन प्लेटफार्म की जॉच कराना आदि शामिल होगा।
20. अगर 02 वर्ष के अन्दर इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प ~~स्थापना~~/रिबोर कार्य में कोई खराबी पायी गई तो विभाग के निर्देश पर प्रथम पक्ष उसको ठीक करेगा अगर उसे तुरन्त ठीक नही किया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त कार्य को किसी अन्य ऐजेन्सी द्वारा कराकर उसकी लागत प्रथम पक्ष की जमानत से काट ले एवं कार्य पर होने वाली व्यय धनराशि जमानत से अधिक होने पर अन्य कार्य से कटौती कर ले जिसमें ठेकेदार के किसी भी प्रकार की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
21. रिबोर योग्य इण्डिया मार्का ॥ हैण्डपम्पों का रिबोर कार्य विभागीय मानकों/आंगणन के अनुसार अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी को निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयावधि में कमियां दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से हैण्डपम्पों का रिबोर कार्य करवा ले। उक्त कराये गये कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
22. यदि हैण्डपम्पों के रिबोर कार्य किये जाने में किसी प्रकार की समस्या/रूकावट (अतिक्रमण आदि) की समस्या उत्पन्न होती है तो ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह लिखित में नगर निगम में उसकी सूचना दें तथा हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदार द्वारा नगर निगम को सूचित किया जायेगा।
23. ठेकेदार का दायित्व होगा कि प्रत्येक हैण्डपम्प रिबोर कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा।
24. सम्पादित कार्य के बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि एवं अन्य आवश्यक करों की कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा जी.एस.टी देय होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
25. ठेकेदार द्वारा रिबोर योग्य इण्डिया मार्का ॥ हैण्डपम्पों के रिबोर कार्य को प्रत्येक कार्यादेश जारी होने के 01 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा यदि वह दिए गए समय के अन्दर रिबोर कार्य पूर्ण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरम्मत के कार्य के

क्रमशः पृष्ठ संख्या 03 पर

लिए रू0 10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रतिसप्ताह तथा अन्य समस्त कार्यों में विलम्ब के लिए संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनल्टी वसूली/भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

26. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप मे जिम्मेदार नहीं होगा।

27. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर इण्डिया मार्का II हैण्डपम्पों के रिबोर कार्य को पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय वृद्धि हेतु ठेकेदार को परिस्थिति विशेष का उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्वविवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।

28. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर ले तथा ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

29. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

30. धनराशि के अभाव मे ठेकेदार को बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

31. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 02 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।

32. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को कोविड–19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ–साथ भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

33. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

नोट– समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेगी।

(गजेन्द्र पाल) प्र0 अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर।	(विशाल मिश्रा) नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर।	(रामपाल सिंह) महापौर नगर निगम रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर।

कार्य का विवरण एवं निविदा शर्तें

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (लाख में)	धरोहर धनराशि रू0	निविदा मूल्य+ जी0एस0टी0			कार्य अवधि
				मूल्य	जी.एस.टी	कुल रू0	
1	सभागार कक्ष में साउण्ड प्रूफिंग एवं रिपेयरिंग मैन्टीनैंस का कार्य।	13.37	26740.00	1500	270	1770.00	04 माह

1. निविदा में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति/फर्म को उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित कैल्शियम सिलिकेट पैनलिंग व सीलिंग कार्य का अनुभव होना आवश्यक है तथा निविदा प्रपत्र के साथ उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न किये गये वांछित अभिलेखों को कूटरचित रूप से (भ्रामक/काट–छाँट कर) प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित निविदादाता की धरोहर धनराशि जब्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा भविष्य हेतु नगर निगम के किसी भी कार्य को करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा, जिस हेतु निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. निविदा प्रपत्रों का लिफाफा सीलबन्द होना अनिवार्य है। स्टेपल पिन से बन्द किये गये निविदा लिफाफों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर में निहित है।
6. निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से सूचना प्रकाशन की तिथि से राजकीय अवकाश छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय पर निविदा शुल्क जमाकर क्रय किये जा सकते हैं।
7. निविदादाता फर्म/ठेकेदार को नगर निगम की बोर्ड बैठक दिनांक 13.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 14 में पारित प्रस्ताव के क्रम में निविदा प्रपत्रों के साथ नगर निगम रूद्रपुर का कोई बकाया न होने के सम्बन्ध में रु 10.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
8. निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य का नाम एवं व्यक्ति/फर्म का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा एवं निविदा दरों में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदा की दरें शब्दों व अंको दोनों अवस्थाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा दशमलव बिन्दु के दो अंको/स्थान तक ही मान्य होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
10. निविदा प्रपत्र के साथ कार्य के सापेक्ष 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो, मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100.00 का गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा दर प्रावकलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security निविदादाता द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
13. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदादाता (एल–2) के पक्ष में कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
14. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मेन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
15. स्वीकृत निविदा का कार्यादेश बजट की उपलब्धता होने पर ही जारी किया जायेगा तथा सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर से निरीक्षण कराते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

क्रमशः पृष्ठ संख्या 02 पर

16. कार्य का अनुबन्ध गठित होने के पश्चात सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विशिष्टियों के अनुसार एवं विभागीय मानकों के अनुसार तथा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य पूर्ण करना होगा तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उसके रखरखाव की अवधि 01 वर्ष होगी उक्त अवधि में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर सम्बन्धित ठेकेदार अपने व्यय पर उसे ठीक करेगा। अन्यथा स्थिति में नगर निगम को अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के भुगतान बिल से कर ली जायेगी।

17. सफल निविदादाता का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा।

18. सम्पादित कार्य के बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा जी.एस.टी. देय होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

19. सफल निविदादाता कार्य को दिए गए समय के अन्दर पूरा नहीं करता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरम्मत के कार्य के लिए रू0 10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रति सप्ताह तथा अन्य समस्त कार्यों में विलम्ब के लिए संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनल्टी वसूली/भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें सफल निविदादाता की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

20. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।

21. अपरिहार्य स्थितियों में सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय वृद्धि हेतु निविदादाता को परिस्थिति का विशेष उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य निविदादाता द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्वविवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।

22. निविदादाता निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर लें तथा व्यक्ति/फर्म को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

23. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें निविदादाता की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

24. धनराशि के अभाव में ठेकेदार को बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

25. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 01 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।

26. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को कोविड–19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ–साथ भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

27. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

नोट–समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेगी।

(गजेन्द्र पाल)
प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

वार्ड नं0 38 में स्थित विवेकानन्द पार्क में ओपन जिम मशीनों के अधिष्टापन का कार्य का विवरण एवं निविदा शर्तें

क्र. सं.	कार्यों का नाम	आंगणन धनराशि (लाख रु0 में)	धरोहर धनराशि रु0	निविदा मूल्य+जी.एस.टी.			कार्य अवधि
				मूल्य	जी.एस.टी.	कुल (रु0)	
1.	वार्ड नं0 38 में स्थित विवेकानन्द पार्क में ओपन जिम मशीनों के अधिष्टापन का कार्य।	3.37	6740.00	500	90	590.00	01 माह

1. आपूर्तिकर्ता/निविदादाता को विगत 02 वर्षों में किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/निगमों में जिम से सम्बन्धित सामान की आपूर्ति का अनुभव होना अनिवार्य होगा तथा उसका अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. आपूर्तिकर्ता/निविदादाता को निविदा प्रपत्रों के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जी.एस.टी. प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. आपूर्तिकर्ता/निविदादाता फर्म/ठेकेदार को नगर निगम की बोर्ड बैठक दिनांक 13.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 14 में पारित प्रस्ताव के क्रम में निविदा प्रपत्रों के साथ नगर निगम रूद्रपुर का कोई बकाया न होने के सम्बन्ध में रु 10.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न किये गये वांछित अभिलेखों को कूटरचित रूप से (भ्रामक/काट-छाँट कर) प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित निविदादाता की धरोहर धनराशि जब्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा भविष्य हेतु नगर निगम के किसी भी कार्य को करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा, जिस हेतु निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. निविदा प्रपत्रों का लिफाफा सीलबन्द होना अनिवार्य है। स्टेपल पिन से बन्द किये गये निविदा लिफाफों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर में निहित है तथा अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।
8. निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से सूचना प्रकाशन की तिथि से राजकीय अवकाश छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय पर निविदा शुल्क जमाकर क्रय किये जा सकते हैं। कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
9. कार्य की सीमा किसी भी स्तर तक घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
10. निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य का नाम एवं आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/फर्म का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा एवं निविदा दरों में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. निविदा की दरें शब्दों व अंको दोनों अवस्थाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा दशमलव बिन्दु के दो अंको/स्थान तक ही मान्य होंगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
12. निविदा प्रपत्र के साथ कार्य के सापेक्ष 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ रु0 100.00 का गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ संख्या 02 पर

15. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर भविष्य हेतु नगर निगम के कार्यों से प्रतिबन्धित किया जायेगा।
16. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मेन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
17. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इसके रखरखाव की अवधि 01 वर्ष की होगी। रखरखाव की अवधि में किसी भी तरह की खराबी आने पर सम्बन्धित ठेकेदार अपने व्यय पर उसे ठीक करेगा तथा जनोपयोगी कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
18. उच्चाधिकारियों/विभिन्न जाँच समितियों द्वारा समय-समय पर उक्त आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता की जाँच किये जाने पर आपूर्तिकर्ता को अपने व्यय पर जांच करानी होगी। जांच में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर आपूर्तिकर्ता की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा भविष्य में नगर निगम के किसी भी कार्य हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।
19. ओपन जिम हेतु आपूर्ति किये गये सामान को विभागीय मानकों/विशिष्टियों/आगणन के अनुसार अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी को आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने व्यय पर सही कराना होगा।
20. सम्पादित कार्य के बिल के भुगतान में से जमानत धनराशि एवं अन्य आवश्यक करों की कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेगी तथा जी.एस.टी देय होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
21. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
22. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
23. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 01 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।
24. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

नोट– समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेगी।

(गजेन्द्र पाल)
प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

Specification Details of Open Gym Item supply and Installation

S/No	Particular of Items	Nos	Size
1	Suply and installing of Rowing Machine with cartege including all labour material and T&P for proper completion of work in dierication of Engineer in charge .	1	1550X1000X1200MM
2	Suply and installing of Leg press with crtage for proper copmlition of work including all labour material and T&P for required for proper completion of work in dierication of Engineer in charge .	1	2200X500X1560MM
3	Suply and installing of Waist Twister Triple with cartage for proper copmlition of work including all labour material and T&P required for proper comlition of work in direction of Engineer in charge .	1	1520X1520X1500MM
4	Suply and installing of Chest Press and Pull Chair with cartege for proper completion of work including all labour material and T&P for required for proper completion of work in direction of Engineer in Charge.	1	2280X800X2000MM
5	Suply and installing of Air walker with cartage for proper completion of work including all labour material and T&P for required for proper completion of work in direction of Engineer in charge .	1	1160X550X1480MM

J.E

A.E